

2-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी मुताबिक राजीनाम स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पत्रक से लिए गए जाकर शुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। ~~इसे~~ ~~जाकर~~ पत्रावली नम्वर से कर की जाकर बाद तकनील दखिला दपत्र है।

(कपिल थादव)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Original

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठारथीन अधिकारी :- कपिल रादव आर एएस

राजस्व वाद संख्या :- 228/2019

- 1 अनिल कुमार पुत्र श्री लालचन्द, जाति जाट, निवासी डबलीवास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 2 सुनील कुमार पुत्र श्री लालचन्द, जाति जाट, निवासी डबलीवास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

:- बनाम :-

1. लालचन्द पुत्र श्री श्योनाथ, जाति जाट, निवासी डबलीवास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन (पुत्री श्री लालचन्द) धर्मपत्नि श्री कुम्भाराम, जाति जाट, निवासी चक 15 एम. डी., घड़साना, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

- - प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

:- उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मदनलाल मूण्ड अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 व 2
3. राज पैरोकार प्रतिवादी संख्या 3

:- निर्णय :-


दिनांक :- 02.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि तहसील हनुमानगढ़ में प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द पुत्र श्री श्योनाथ के नाम चक 16 जे.आर.के. के खाता संख्या 156/147 में 7.084 हैक्टर व चक 13 जे.आर.के. के खाता संख्या 78/74 में 4.048 हैक्टर कुल 11.132 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमावन्दी सलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के हकदार हैं। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। वादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रतिवादी संख्या लालचन्द के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली हायता एवं सुविधा प्राप्त नहीं हो रही एवं फसल बेचान आदि के समय वादीगण के भारी शान्गी उठानी पड़ती है। इसलिए वादीगण उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद अपने हक व हिस्सा एवं पारिवारिक समझौता में प्राप्त भूमि की घोषणा करवाकर भूमि के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादिया संख्या 2 वादीगण की सगी वहिन है, का भी वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में ही तर्क कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 2 का विवाह सम्मन पत्र में एवं हिन्दू रीति निति से भात छुछक वादीगण व पिता लालचन्द द्वारा सम्पन्न वाया गया है। प्रतिवादिया संख्या 2 कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती। वादीगण ने कर घराघरू बंटवारा कर लिया एवं मुताबिक बंटवारा वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज कर काश्त कर रहे हैं, बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से है :-

लगातार 2


सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

1. हिस्सा वादी संख्या 1 अनिल कुमार :- चक 13 जे.आर.के. के खाता संख्या 78/74 के पत्थर नम्बर 68/247 (17) किला नम्बर 2 ता 4, 8, 9, 13, 18, 23 तादादी 2.024 हैक्टर, मय गैर मुमकिन।
2. हिस्सा वादी संख्या 2 सुनील कुमार :- चक 13 जे.आर.के. के खाता संख्या 78/74 पत्थर नम्बर 68/247 (17) के किला नम्बर 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25, पत्थर नम्बर 68/248 (30) किला नम्बर 3 कुल तादादी 2.024 हैक्टर मय गैर मुमकिन।
3. हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द :- चक 16 जे.आर.के. के खाता संख्या 156/147 पत्थर नम्बर 54/255 (50) किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 24, 25 पत्थर नम्बर 55/256 (58) किला नम्बर 10, पत्थर नम्बर 54/256 (59) किला नम्बर 1 ता 9, 13, 14, 15, 18 कुल तादादी 3.289 हैक्टर मय गैर मुमकिन।

वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित घराघरू बंटवारा अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं परन्तु पक्षकारों को हमेशा सरकारी योजनाओं के लाभ फसल बेचान कृषि ऋण आदि लेने में परेशानी रहती है। इसलिए वादीगण अपने हक व हिस्सा एवं पारिवारिक समझौता में प्राप्त भूमि जो वाद पत्र की चरण संख्या 4 में घराघरू बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं व वादीगण अपने घराघरू बंटवारा अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं व इसी अनुसार घोषणा करवाकर अलग से खाता विभाजन का अंकन राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के साथ जन्म से हक व हिस्सा है, जिस हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह वादीगण को उनके हक व हिस्सा की भूमि जो घराघरू बंटवारा में वादीगण को प्राप्त है वादीगण के नाम दर्ज करवा दे पहले तो वह मालमटोल करते रहे आखिर दिनांक 20.07.2019 को मुकाम डबलीबास पेमा में स्पष्ट इन्कार हो गये यहि विनाय मुखासमत दावा है।

प्रतिवादी संख्या 3 को बतौर भू धारक वाद में पक्षकार बनाया गया है, वाद पत्र सीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री करमाया जावे :-

- (क) वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद में वादीगण को मुताबिक वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित घराघरू बंटवारा/पारिवारिक समझौता अनुसार हकदार घोषित किया जावे।
- (ख) वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित घराघरू बंटवारा घोषणा व खाता विभाजन कर रकम राज अलग अलग कायम की जावे।
- (ग) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
- (घ) अन्य कोई अनुतोष नजदीक अदालत हाजा हो तो बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी स्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा पढ़ने समझने के बाद स्ताक्षर किये गये। वादीगण की पहचान श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री मदनलाल मुण्ड अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर राजीनामा स्वीकृत किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक जिल्लक्टर
उपबण्डाधिकारी

लगातार 3

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी वाद पत्र में हम पक्षकारान का राजीनामा हो गया है, प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द पुत्र श्री श्योनाथ के नाम चक 16 जे.आर.के. के खाता संख्या 156/147 में 7.084 हैक्टर व चक 13 जे.आर.के. के खाता संख्या 78/74 में 4.048 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जददी जायदाद है, उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिरसा बराबर के हकदार है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है वादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की सग्गी बहिन है का भी वादग्रस्त भूमि में अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में पूर्व में ही तर्क कर रखा है। प्रतिवादिया संख्या 2 का विवाह सम्पन्न परिवार में व हिन्दु रिति निति से भात छुछक वादीगण व पिता लालचन्द द्वारा सम्पन्न करवाया गया है। प्रतिवादीया संख्या 2 कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहते है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 नें मिलकर घरा घरू बंटवारा कर लिया है एवम् मुताबिक घरा घरू बंटवारा वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है घरा घरू बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से है :-

1. हिस्सा वादी संख्या 1 अनिल कुमार :- चक 13 जे.आर.के. के खाता संख्या 78/74 के पत्थर नम्बर 68/247 (17) किला नम्बर 2 ता 4, 8, 9, 13, 18, 23 तादादी 2.024 हैक्टर, मय गैर मुमकिन।
2. हिस्सा वादी संख्या 2 सुनील कुमार :- चक 13 जे.आर.के. के खाता संख्या 78/74 पत्थर नम्बर 68/247 (17) के किला नम्बर 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25, पत्थर नम्बर 68/248 (30) किला नम्बर 3 कुल तादादी 2.024 हैक्टर मय गैर मुमकिन।
3. हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द :- चक 16 जे.आर.के. के खाता संख्या 156/147 पत्थर नम्बर 54/255 (50) किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 24, 25 पत्थर नम्बर 55/256 (58) किला नम्बर 10, पत्थर नम्बर 54/256 (59) किला नम्बर 1 ता 9, 13, 14, 15, 18 कुल तादादी 3.289 हैक्टर मय गैर मुमकिन।

उक्त वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जददी जायदाद में वादीगण को मुताबिक वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित घरा घरू बंटवारा/पारिवारिक समझौता अनुसार हकदार घोषित किया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपति एतराज नहीं है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है, कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे जो हम पक्षकारान सहमत है।

राज पैरोकार द्वारा स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को शोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40-53, आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।


अध्यक्ष

लगातार 4

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (मुष-6) विभाग जयपुर के पत्राक प5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता घोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221-22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पत्ति को भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 जे.आर.के. के खाता संख्या 156/147 में 7.084 हैक्टर व चक 13 जे. आर.के. के खाता संख्या 78/74 में 4.048 हैक्टर कुल 11.132 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जददी जायदाद होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त पैतृक भूमि में हक हिस्सा होने से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:: आदेश ::—

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 13 जे.आर.के के खाता संख्या 78/74 की 4.048 हैक्टर रकबा में से वादी संख्या 1 अनिल कुमार को 2.024 तथा वादी संख्या 2 सुनिल कुमार को 2.024 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है :-

1. वादी संख्या 1 अनिल कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :-

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
13 जे.आर.के.	78/74	68/247 (17)	2, 3, 4, 8, 9, 13, 18, 23 सालम,	2.024 हैक्टर

सहायक जलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 5


2. वादी संख्या 2 सुनिल कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :-

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
13 जे.आर.के.	78/74	68/247 (17)	7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 सालम,	1.771 हैक्टर
		68/248 (30)	3 सालम	0.253 हैक्टर
कुल भूमि :-				2.024 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 02.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेच सहायक क्लर्क
हनुमानगढ़

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 228/2019

- 1 अनिल कुमार पुत्र श्री लालचन्द, जाति जाट, निवासी डबलीबास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 2 सुनील कुमार पुत्र श्री लालचन्द, जाति जाट, निवासी डबलीबास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

--:: बनाम ::--

1. लालचन्द पुत्र श्री श्योनाथ, जाति जाट, निवासी डबलीबास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन (पुत्री श्री लालचन्द) धर्मपत्नि श्री कुम्भाराम, जाति जाट, निवासी चक 15 एम. डी., घड़साना, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :- 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :- 02.08.2019


वादीगण की ओर से श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मदनलाल मूण्ड अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गतवाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 13 जे.आर.के के खाता संख्या 78/74 की 4.048 हैक्टर रकबा में से वादी संख्या 1 अनिल कुमार को 2.024 तथा वादी संख्या 2 सुनील कुमार को 2.024 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है :-

1. वादी संख्या 1 अनिल कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :-

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
13 जे.आर.के.	78/74	68/247 (17)	2, 3, 4, 8, 9, 13, 18, 23 सालम,	2.024 हैक्टर

2. वादी संख्या 2 सुनील कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :-

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
13 जे.आर.के.	78/74	68/247 (17)	7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 सालम,	1.771 हैक्टर
		68/248 (30)	3 सालम	0.253 हैक्टर
कुल भूमि :-				2.024 हैक्टर


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 2

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/वारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 13.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एचम
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

—:: वाद के खर्चे ::—

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	— —	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —	अर्जी के लिये स्टाम्प	— —
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	— —	प्लीडर की फीस	— —
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	— —	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —	आदेशिका की तामिल	— —
कमिश्नर की फीस	— —	कमिश्नर की फीस	— —
आदेशिका की तामिल	— —		
योग	— —	योग	— —

